

FORM NO III

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :- महावीर बनाम हिराराम आदि

धारा :- इजराय मुकदमा नं:- 81/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
29.8.2017	<p>वकील डिकीदार द्वारा ईजराय पेश की गई। बाद कार्यालय टिप्पणी के ईजराय दर्ज रजिस्टर की जावे तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेश दिया जावे कि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो नियमानुसार डिकी की पालना की जावे। पत्रावली दिनांक 29.9.2017 को पेश हो। <i>(Signature)</i></p>	<p>क्र.सं. 403 13/10/17 उपखण्ड की अदालत</p>
24 ⁵ / ₁₈	<p>पगनन/गजानन लोक अदालत क्षेत्र 2 राजकीरपुर में पेश हुई। हुताग्नि रिफ्रेण्ट प. ड. राजकीरपुर ड. क्र. 403/13.10.17 इसके मुकदमा पगनन/गजानन कारिगल दफ्तर में जावे। <i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़</p>	<p><i>(Signature)</i> 24/05/18</p>